## विचार बिन्दु

**''जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।'' - अरविन्द कटोच**

# राज्य के कर्मचारियों की नई सरकार से अपेक्षाएं

**ओल्ड पेंशन स्कीम :-** राज्य कर्मचारी राजव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है।कैबिनेट को जनोपयोगी नीतियां तैयार करने में वांछित इनपुट्स देने से लेकर उनके सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।इसलिए सरकारी कर्मचारियों का उचित ख्याल रखना हर सरकार के लिए जरूरी है। राज्य सरकार के अमले की पहली अपेक्षा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के सम्बंध में स्थिति स्पष्ट की जाए। यह यथावत रहेगी या कोई बदलाव इसमें किया जाएगा।केंद्र सरकार नें 2004 से लागू नई पेंशन स्कीम के पुनरावलोकन के लिए एक कमेटी का गठन किया हुआ है जिसकी रिपॉर्ट अपेक्षित है। यदि पुरानी पेंशन स्किम में सरकार किसी भी स्टेज पर कोई भी परिवर्तन करने पर विचार करे तो कर्मचारियों को परिवर्तनों से अवगत कराया जाए और उनके सुझाव,आपत्तियां आमंत्रित कर उनका न्यायोचित निस्तारण कर ही आगे बढ़ा जाए। इस क्रम में एक सुझाव है कि यदि सरकार में परिवर्तन करने का मानस बनाए तो पुरानी व नई पेंशन स्कीम्स के बीच का कोई रास्ता निकाला जा सकता है जैसे कि वर्तमान में जो पेंशन मिलती उसका कुछ भाग,जैसे 50, 40 उन्हें पुराने नियम के अनुसार मिले और शेष भाग के लिए कर्मचारी व सरकार के अंशदान को यथावत रखा जा सकता है।कर्मचारी को यह ऑप्शन दिया जाए कि वह किस फंड में अपना पैसा निवेश करना चाहता है।अभी कई लोग यह शंका जाहिर करते है कि पेंशन फंड का निवेश उचित रिटर्न देने वाले फंड्स में नहीं होने से रिटर्न कम है अर्थात फंड का निवेश अपारदर्शी न होकर, कर्मचारियों की राय को भी पूरा महत्व मिले।

**नीतिगत ट्रांसफरों से सरकार के प्रति भी कोई दोष-रोष-आक्रोश जनमानस में नहीं बनता। किसी भी स्थानांतरण नीति में यथासम्भव पति-पत्नी की एक जगह या नजदीकी स्थानों पर रखना चाहिए।गम्भीर बीमारियों के मामलों को जिला स्तर पर मेडीकल बोर्ड की राय को आधार बनाया जा सकता है।किसी एक स्थान पर बहुत लंबे समय से पदस्थापन को आधार बनाया जा सकता है।**

**कर्मचारी स्थानांन्त्रण नीति :-** कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव से पूर्व किसी न किसी कर्मचारी स्थानांतरण नीति बनाने की घोषणा करती आई है किन्तु अभी तक न कोई ऐसी सफल नीति बनाई जा सकी और न सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा सकी है। स्थानांतरण नीति के नाम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दो साल से पहले ट्रांसफर न करने की बात करीब करीब हर सरकार कहती आई है किंतु विशेष कारण व परिस्थियां,राज्य हित आदि ऐसे शब्द है जिनका नीतियों की धज्जियां उड़ाने के लिए जमकर दुरुपयोग किया जाता है।जिनके पास किसी भी प्रकार की मोटी सिफारस, पहुंच हो उनके लिए कोई नीति नहीं। स्थानांतरण नीति के नाम पर एक ओर काम होता है कि साल में एक बार स्थानांतरण पर बैन की घोषणा होती है किंतु विशेष परिस्थितियों में पत्रावलियां सामान्य प्रशासन विभाग के जरिये में भेजकर स्थान्तरण होते रहते है, बशर्ते आपकी,किसी भी तरीके से, ऊंची सिफारिश हो। कभी कभी इस रेगुलर बैन को कुछ 10,15 दिन के लिए खोल भी दिया जाता है जिसमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को खुश रखने के लिए उन की सिफारिशों के अनुसार ट्रांसफर किये जाते है। अध्यापकों के ट्रांसफर के लिए एक रूटीन कवायद की तरह से हर शिक्षा मंत्री बड़े जोर सर ऐसी नीति बनाने की घोषणा करता है।विशेषज्ञों को लगाकर कई ड्राफ्ट बनाए जाते है पर इसके आगे कुछ नहीं निकलता। अध्यापकों की मुख्य समस्या है कि प्रतियोगिता परीक्षा में उनका जो स्थान होता है और रिजर्वेशन के आधार पर जो जिला मिलता है वहां पदस्थापना हो जाता है। अधिकांशत: यह जिले उनके गृह जिलों से दूर होते है जहां पर्याप्त संख्या में भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से पर्याप्त संख्या में अध्यापक नहीं मिलते। इनकी स्वभाविक इच्छया होती है कि उनका घर के नजदीक स्थान्तरण हो। इसको पारदर्शी बनाया जा सकता है बशर्ते सरकार की इच्छया शक्ति हो। मुझे स्मरण पड़ता है कि पूर्व में कुछ शिक्षामंत्रीयों नें ऐसा सुप्रयास किया। रिक्त स्थानों को विभाग की वेबसाइट पर डाल कर ट्रांसफर के इच्छुक अध्यापकों से प्रार्थनापत्र आमंत्रित किए गए और यथासम्भव उनकी चॉइस के 2,3 जगहों में से एक पर उन्हें पदस्थापित किया।किन्तु इसमें भी शिक्षकों की शिकायत सुनी गई कि शहरों के नजदीक के कुछ स्कूल्स के खाली पदों से सम्बंधित पोर्टल में नही दर्शाए गए। एक अन्य शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में शिक्षक स्थान्तरण काफी हद तक पारदर्शित व भ्रष्टाचार रहित रहे।ओर भी ऐसे मंत्री रहे होंगे। पारदर्शी व तर्क आधारित ट्रांसफर नीति से कर्मचारी को पता होता है कि उसे इच्छित स्थान मिल सकता है या नही, अथवा कब तक मिल सकता है।इस से वह अनावश्यक भागदौड़-सिफारिशों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। नीतिगत ट्रांसफरों से सरकार के प्रति भी कोई दोष-रोष-आक्रोश जनमानस में नहीं बनता। किसी भी स्थानांतरण नीति में यथासम्भव पति-पत्नी की एक जगह या नजदीकी स्थानों पर रखना चाहिए।गम्भीर बीमारियों के मामलों को जिला स्तर पर मेडीकल बोर्ड की राय को आधार बनाया जा सकता है। किसी एक स्थान पर बहुत लंबे समय से पदस्थापन को आधार बनाया जा सकता है।एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण में लम्बी अवधि को आधार बनाया जा सकता है।महिलाओं को वरीयता दी जा सकती है। शिक्षक की परफॉर्मेंस,परीक्षा परिणाम भी एक आधार हो सकता है।ओर भी बातें हो सकती है।कुल मिलाकर पारदर्शी,तर्क आधारित ट्रांसफर नीति सरकार और कर्मचारियों के हित में रहेगी। सरकार की छवि निखरेगी।

**राज्य कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों के बीच दाबधोंस के स्थान पर सौहार्द्रपूर्ण समवन्यकारी सम्बन्ध हों:-** हर चुनाव के बाद 2,4,5 स्थानों से ऐसी खबरें अति हैं कि जनप्रतिनिधियों नें कर्मचारियों को धमकाया या एलानिया धमकियां दी। जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि उनकी बात को कोई भी समझदार अधिकारी/कर्मचारी बहुत गम्भीरता से लेता है, उनके द्वारा बताई समस्याओं का समाधान का प्रयास किया जाता है।कुछ इक्के दुक्के अधिकारी,कर्मचार अपवाद भी हो सकते हैं। कुछ मामलों में नीचे के अधकारियों की विवशताएं होती है।अधिकारी उन्हें सरकार या कानून से मिली पावर्स की सीमा में ही काम कर सकते है।कई काम करने के अधिकार या तो उनसे ऊंचे अधिकारियों के पास होते है या सरकार के पास। ऐसे मामले उनसे ऊपर के जिला या राज्य स्तरीयअधिकारियों को बताए जा सकते है अथवा सीधे सरकार के ध्यान में लाए जा सकते है।नीचे उलझने से कोई सकारात्मक बात नहीं होती। जिला लेवल पर कलेक्टर की संस्था सभी विभागों के लिए सामान्य कोर्डिनेटर के रूप में काम करती है।जनप्रतिनिधियों को जिले के किसी दफ्तर में नियमों में होने वाला काम नही होता है तो जिला कलेक्टर को बताना चाहिए। कलेक्टर अपने लेवल पर या राज्य सरकार के ध्यान में लाकर कुछ न कुछ समाधान का प्रयास करते हैं।

**( महावीर सिंह, पूर्व आईएएस )**

# नई सरकार की प्राथमिकताएं : जन अभियोग निराकरण

**प्रशासनिक** सुधार आयोग के प्रतिवेदनों में नई सरकार द्वारा तत्काल लागू करने की दृष्टि से सर्वोपरि महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जन अभियोग निराकरण से संबन्धित हैं। वस्तुत: जन समस्याए उस शासन व्यवस्था में अधिक पैदा होती है जहां नीचे के स्तर पर भारी स्वविवेक के अधिकार प्रदत्त है। वैसे सिद्धान्त: तो जनता नौकरशाही की मालिक है पर वास्तविक स्थिति इसके सर्वथा विपरित है जिसके परिणामस्वरूप नागरिक के मूल अधिकारों का पग-पग पर हनन होता देखा गया हैं। राजस्थान भी इसका अपवाद नहीं है।

हमारे यहां शासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों का दायरा इतना विस्तृत हो गया है कि लगभग प्रतिदिन की सभी आवश्यकताओं के लिए नागरिक को शासनतन्त्र से सम्पर्क करना ही पडता है। यदि शासन द्वारा हर नागरिक को न्यायोचित एवं समान व्यवहार मिले तो कोई समस्या ही उत्पन्न नही होगी। लेकिन नीचे के स्तर पर भारी स्वविवेक की शक्तियों के कारण ऐसा नही हो पाता है एवं निरिह नागरिक को पग-पग पर निराशा का ही सामना करना पड़ता हैं। वर्तमान में शासन तन्त्र में सुनवाई के तो कई स्तर बन गये हैं पर वे पहुच वाले एवं जानकार लोगों के अलावा सामान्य नागरिक की पहुंच से बाहर है। यह आम धारणा बन गई है कि धन, राजनैतिक प्रभाव या उच्च सामाजिक स्तर के अभाव में कहीं भी सुनवाई नहीं होती हैं और जन सधारण को तो कष्टों में ही जीना है। इसी धारणा को दूर करने के लिए ही एक प्रभावी जन अभियोग निराकरण प्रणाली की आवश्यकता है। लोक शिकायतों के त्वरित निपटान से न केवल सरकार की छवि ही जनमानस पर निखरती है बल्कि सरकारी तंत्र की पारदर्शिता, जनता के प्रति जवाबदेही एवं संवेदनशीलता भी स्पष्टत: परिलक्षित होती है। राज्य में इस प्रयोजन से 1973 में जन अभियोग निराकरण विभाग की स्थापना की गई थी जोकि कालान्तर में आन्तरिक कमजोरियों एवं आवश्यक महत्व के अभाव में अपना अस्तित्व खो चुका हैं। हजारों शिकायतें एवं जांचें वर्षों से लम्बित रहने एवं निपटान नहीं हो पाने के कारण इस प्रणाली से लोगों का विश्वास ही उठ चुका है जिसके परिणामस्वरूप हर वर्ष मुख्यमंत्री जी के स्वयं के स्तर पर ही 40-50 हजार शिकायतें आती है जिनके त्वरित निपटान की भी अभी कोई कारगर व्यवस्था नहीं है।

भागीरथ शर्मा

जिला/उपखण्ड व विभागीय स्तर पर भी अभी कोई समयबद्ध सुव्यस्थित प्रणाली लागू नही हैं। इस हेतु राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्य राज्य यथा तमिलनाडु, कर्नाटक आदि की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर एक कारगर प्रणाली लागू करने के स्पष्ट सुझाव दिये है। उपरोक्त संदर्भ में प्रथमत: लोक शिकायतों की रोकथाम के उपाय आवश्यक है जिससे समस्या उत्पन्न ही नही हो। इसके लिये प्रत्येक विभाग के प्रशासनिक ढांचे की पुर्नसंरचना, पत्रों के निपटान के लिए एक दर्जन से अधिक स्तरों को कम कर तीन स्तर से अधिक नही रखना, हर विभाग के कार्यो का आकलन कर निजी क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं एवं जन समुदाय को स्थानान्तरित करना, शेष कार्य जो सरकार अपने पास रखे उनके लिये समय सीमा सुनिश्चित करने नियमों/ प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने, स्वविवेक के अधिकार समाप्त करने एवं प्रत्येक विभाग का नागरिक अधिकारपत्र जारी करने आदि के लिये एक कमेटी बनाकर दो माह में विभागावार स्थिति का आकलन करवाकर सुधार किये जायें। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोकायुक्त एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अधिक सक्षम बनाकर उनके मामलों में तत्काल कार्यवाही करने व चालान करने हेतु तत्काल अनुमति देने एवं न्यायालयों में लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

राज्य में एक सुदृढ जन अभियोग निराकरण ढांचे की स्थापना हेतु आवश्यक है कि आयोग के सुझावानुसार एक त्रि-स्तरीय ढांचे की संरचना की जाये। मुख्यमंत्रीजी के कार्यालय में एक पूर्णकालिक सलाहकार/ सचिव के अधीनस्थ एक प्रकोष्ठ की स्थापना के साथ-साथ हर विभागाध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर कार्यालयों में भी अलग प्रकोष्ठों की स्थापना कर सभी प्रकोष्ठों को मुख्यमंत्री कार्यालय से कम्प्यूटरीकरण से नेटवर्किंग किया जावे। इस हेतु एक विशेष सॉफटवेयर बनाया जाये जिससे प्रत्येक प्रार्थना पत्र को प्रविष्ट कर रसीदी कार्ड जारी करने, समय पर स्मरण पत्र जारी करने, हर स्तर पर लम्बित प्रार्थना पत्रों की स्थिति मालूम कर विलम्ब पाये जाने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने आदि की सुविधाएं स्वत: ही कम्प्यूटर के माध्यम से प्राप्त हो सके।

पूरे राज्य में सोमवार जन अभियोग निराकण दिवस हो। इस दिन सभी उपखण्ड अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिलास्तरीय अधिकारीगण तथा विभागाध्यक्ष अपने कार्यालयों में रहकर सभी आगन्तुक आवेदको से मिलकर यथासंभव उसी दिन शिकायत का निपटारा करें या सामान्यत: 3 दिन में एवं हर स्थिति में 7 दिन में ही शिकायत का निपटरा कर लिखित सूचना आवेदकों को दे। प्रत्येक आवेदन पत्र का विवरण कम्प्यूटर में प्रविष्ट कर तत्काल आवेदक को एक रसीदी कार्ड दिया जाये। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भी अनवरत की जाने वाली समीक्षा में किसी भी स्तर पर कोई प्रकरण 7 दिन से अधिक लम्बित पाया जाने पर संबंधित जिला कलेक्टर/ विभागाध्यक्ष को मुख्यमंत्री की ओर से ई-मेल से ''अप्रसन्नता पत्र'' जारी किया जाये। पत्रों के प्राप्ती एवं निपटान प्रणाली को भी आयोग के प्रति वेदनानुसार तत्काल लागू किया जाये।

**भागीरथ शर्मा**
**आई.ए.एस ( से.नि. )**

# पुष्कर‌राज का ''पगड़ी महोत्सव'' आयोजित

## दो हजार मीटर लम्बी पगड़ी पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर होती हुई वराह घाट पर पूरी हुई, सभी यजमानों ने पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा-अर्चना की और संकल्प लिया

**पुष्कर, ( निसं )।** अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राजस्थान की अजमेर इकाई की और से बुधवार को पुष्कर‌राज का भव्य पगड़ी महोत्सव आयोजित किया गया। यह आयोजन पुष्कर के पंडित रविकांत शर्मा के सानिध्य में हुआ। आयोजन

- **सरोवर पर फलों की भोग झांकी, मनमोहक श्रृंगार व दीपदान के बाद महाआरती हुई**

के मुख्य यजमान शिवशंकर शशि हेड़ा, सुमित अम्बिका हेड़ा, कृष्ण गोपी सारड़ा और रमेश अमिता करनानी थे। आयोजक शाखा अध्यक्ष अम्बिका हेड़ा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को पवित्र सरोवर के पगड़ी महोत्सव में सभी यजमान पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सरोवर की पूजा-अर्चना की और संकल्प लिया।

इसके बाद करीब दो हजार मीटर लम्बी पगड़ी पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर होती हुई वराह घाट पर ही पूरी हुई। यहां पर पगड़ी को वापस समेटने के बाद यजमान सरोवर की पूजा-अर्चना और संकल्प लिया। इसके बाद सरोवर पर फलों की भोग झांकी, मनमोहक श्रृंगार दीपदान के बाद महाआरती हुई।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीना बथवाल, सचिव रूपा अग्रवाल, राष्ट्रीय मध्यांचल प्रमुख शारदा महाड़िया, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मंजू भराडिया, प्रदेश अध्यक्ष नमिता खडेलवाल, प्रदेश सचिव डॉ. रानू गुप्ता, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिता गुप्ता, आयोजक शाखा अध्यक्ष अम्बिका हेड़ा, सचिव रागिणी खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष सुनीता बड़ाया, शिवशंकर हेडा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर सहित आयोजक शाखा के सभी सदस्य और उनके परिवार के लोग मौजूद थे। भवानीमंडी, भीलवाड़ा, कोटा, गीतांजलि जयपुर, किशनगढ़, चितौड़गढ़ सहित संस्था की अन्य शाखाओं और उनके परिवार के सैकड़ों सदस्यों ने भी आयोजन में भाग लिया।

अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राजस्थान की अजमेर इकाई की और से पुष्कर‌राज का पगड़ी महोत्सव आयोजित किया गया।

पंडित रविकांत शर्मा ने बताया कि यह अपने आप में एक अनूठा धार्मिक आयोजन था और इस तरह के आयोजन से देश और दुनिया में तीर्थनगरी की आध्यात्मिक छवि का प्रचार प्रसार होता है।

शर्मा ने बताया कि आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह का माहौल था और पुष्कर की भी बांके बिहारी लाल महिला मंडल की महिलाओं सहित काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर पुण्य के भागीदार बने। इस मौके पर सरोवर किनारे भगवान की भव्य झांकी भी सजाई गई। कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान अजमेर न्यास के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर हेडा, पालिका अध्यक्ष शिवस्वरूप महर्षि, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर, अरुण वैष्णव, महेंद्र खंगारोत, रोहन बाकोलिया, मुकेश कुमावत सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।

## राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

### गुरुवार 4 जनवरी 2024

**पौष मास कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, विक्रम सम्वत 2080, हस्त नक्षत्र सायं 5.33 तक, अतिगंड योग शुक्रवार प्रात: 6.48 तक, बालव करण प्रात: 8.57 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।**

**ठाह स्थिति - सूर्य-धनु, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरु-मेष, शुक्र-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन-केतु-कन्या राशि में संचार करेगा।**

**आज कालाष्टमी है। आज रवियोग दिन 2.46 तक है। सवार्थ सिद्धि योग दिन 2.46 से सूर्योदय तक है।**

**श्रेष्ठ चौघडिया - शुभ सूर्योदय से 8.38 तक चर 11.14 से 12.31 तक, लाभ-अमृत 12.31 से 3.07 तक, शुभ - 12.25 से सूर्यास्त तक**

**राहुकाल - 1.30 से 3.00 तक**

**सूर्योदय - 7.21 सूर्यास्त 5.42**

**मेष**

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिलेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृष**

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

**मिथुन**

घर-परिवार में अथितियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

**कर्क**

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। वर्तमान में चल रही परेशानियां दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।

**सिंह**

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। नौकरी पैशा व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में सुख-

**कन्या**

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भाग-दौड रहेगी। परिवार में खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

**तुला**

व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें। नौकरी-पैशा व्यक्तियों को भाग-दौड रहेगी। अर्नगल कार्यों में समय खराब हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

**वृश्चिक**

आर्थिक वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक व आर्थिक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे।

**धनु**

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

**मकर**

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।

**कुंभ**

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते है।

**मीन**

परिवार में आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

# ''अमृत स्टेशन योजना'' के अंतर्गत भीलवाड़ा स्टेशन पर बढ़ेंगी वाणिज्यिक गतिविधियां

**भीलवाड़ा, ( निसं )।** ''अमृत स्टेशन योजना'' के अंतर्गत देश के 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य किए जा रहे इनमें अजमेर मण्डल में अजमेर-चित्तौड़गढ़ खंड पर स्थित भीलवाड़ा स्टेशन भी शामिल है। योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। वाणिज्यिक गतिविधियों के

- **15.71 करोड़ की लागत से स्टेशन पर स्टेशन रि-डेवलपमेंट के कार्य किये जा रहे हैं**
- **स्टेशन पर यात्री ले सकेंगे होटल, रेस्टोरेंट व फूड प्लाज़ा का आनंद**

अंतर्गत एक निर्धारित स्थान नए निर्माणाधीन भवन में उपलब्ध कराया जाएगा जहां यात्रियों की सुविधा हेतु बैंक, फूड प्लाज़ा, होटल व रेस्टोरेंट खोले जाएंगे।

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक अजमेर सुनील कुमार महला के अनुसार अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत अजमेर मंडल के अजमेर - चित्तौड़गढ़ खंड पर स्थित एनएसजी-3 श्रेणी के भीलवाड़ा स्टेशन को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत 15.71 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन पर स्टेशन रि-डेवलपमेंट के कार्य किये जा रहे हैं। नया स्टेशन भवन सहित अन्य यात्री सुविधाओं के विस्तार हेतु निर्माण कार्य जारी है। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा स्टेशन पर वाणिज्यिक गतिविधियों मे वृद्धि होगी। भीलवाड़ा स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु जो स्थान उपलब्ध कराया गया है जिसका उपयोग सरकारी या प्राइवेट ऑफिस, बैंक, फूड प्लाजा, होटल और रेस्टोरेंट हेतु किया जा सकेगा। प्रतिदिन औसतन 10418 यात्रियों और 31 जोड़ी ट्रेनों के संचालन वाले इस स्टेशन पर इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को मूलभूत व विशेष सुविधाएं प्राप्त होगी। भीलवाड़ा के उद्योगों में कपास मिल, हथकरघा बुनाई, और होजरी और धातु के बर्तन (विशेष रूप से डिब्बा बंद बर्तन) का निर्माण शामिल है। इसके अलावा भीलवाड़ा भारत का तीसरा सबसे बड़ा एसएसपी उर्वरक निर्माता और विक्रेता है। भीलवाड़ा आभूषण उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है।

भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन ( फाइल फोटो )।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे द्वारा अमृत स्टेशन योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। ताकि स्टेशनों की सुविधा में वृद्धि की जा सके। साथ ही इस योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर सिटी सेंटर और रूफ प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। दिव्यांग नागरिकों के लिए स्टेशनों के नवीनीकरण में विशेष सुविधा के अलावा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रेलवे द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित स्टेशनों के कार्यों की समीक्षा व निरीक्षण स्वयं मंडल रेल प्रबंधक अजमेर राजीव धनखड़ द्वारा किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक ने अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत जारी कार्यों की समीक्षा कर अधीनस्थ अधिकारियों को कार्य और भी तीव्र गति से किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं।